

जाए रजिस्ट्रार तक रजिस्ट्रार  
तामिल पेश नहीं करने की स्थिति में अंतरिम अस्थाई निर्णय  
निरस्त मानी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 39 नियम 3 की  
पूर्णतः पालना की जावे। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक  
5.08.2024 को पेश हो।

5<sup>8</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उप.  
विपक्षी की शामिल अपील। पत्रावली वास्ते  
तलबी दिनांक 12/9/24 को पेश हो।

12<sup>9</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील पतकाशत उपस्थित/ अनुपस्थित।  
पत्रावली वास्ते तलबी  
हेतु दिनांक 17/10/24 को पेश हो।

उपस्थित अधिकारी  
नि. जे. जे.

17<sup>10</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।  
विपक्षी संख्या 1 की ऑर ऑर अविपक्ष  
भोजन कुमार ने वकालतनामा पेश किया  
जा और वाद में शां. फा. रिया जमा तथा  
पूर्व में जारी ऑर ऑर निर्णयान्त की लीफ्ट  
केर जाने हेतु महमति अपना की।  
लहद फुनी जब पत्रावली वास्ते निर्णय  
हेतु दिनांक 23/10/24 को पेश हो।

निर्णयान्त  
वकील शर्मा  
अपस्थित नहीं  
होने

23<sup>10</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा उपस्थित।  
वकील शर्मा की लहद पर ऑर रिया।  
उपलब्ध हल्ला, बुविहा का लल्लुलन एवं  
अपुर्जित सन्धि शर्मा के पक्ष में मानित  
होने से पूर्व में जारी ऑर ऑर निर्णयान्त  
दिनांक 26/6/24 को लीफ्ट रिया जाकर  
विपक्षीगण को जरि ऑर ऑर निर्णयान्त  
पाठक रिया जाता है कि वापस आए



<p>दिनांक</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
	<p>आयोजित की गयी वाद के निवारण तक राजस्व इकाई की पदाधिकारी जनरल शर्मा, पत्रावासी फौजदार मुकाम दरवाजा नगर की सखिद पत्र ही</p>	

सुपखण्ड अधिकारी  
निम्बाहेड़